निदेशालय

महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर।

ई-मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– प.37( )एचजी/पीएसएएल/निरी./2020/8385-3439 दिनांक :– 24 FEB 2020

स्थाई–आदेश सं. 09/2020

विषय : निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) का निरीक्षण।

गृह विभाग, राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन संख्या एफ.33(5)गृह–9/2005 दिनांक 31.01.2012 के अनुसार महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 के प्रावधानो के अनुसार कार्य करने हेतु नियंत्रक प्राधिकारी (कण्ट्रोलिंग ऑथोरिटी) नियुक्त किया गया है।

सभी निजी सुरक्षा अभिकरणों जो, कि रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा का कार्य निष्पादित कर रही है, द्वारा लाइसेन्स प्राप्ति के पश्चात प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनयमन) अधिनियम– 2005, राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 एवं निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम 2019 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जा रहा है अथवा नही, इस हेतु निजी सुरक्षा अभिकरणों का नियमित निरीक्षण किया जाना अतिआवश्यक है। इस क्रम में निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 की धारा 16 के प्रावधानो के अन्तर्गत निजी सुरक्षा अभिकरणों के निरीक्षण हेतु नियंत्रक प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों को अधिकार प्रदत्त हैं।

उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निजी सुरक्षा अभिकरणों के निरीक्षण हेतु निर्देशित करने पर अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले **"निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) निरीक्षण प्रतिवेदन"** का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

संलग्न देखने के लिये यहॉ क्लिक

(राजीव दासोत, IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा)
राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपी : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अति. महानिदेशक, पुलिस, गृह रक्षा, निदेशालय।
2. महानिरीक्षक पुलिस, गृह रक्षा, निदेशालय।
3. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा ,निदेशालय।
4. उपमहासमादेष्टा, प्रथम/द्वितीय, गृह रक्षा, निदेशालय।
5. निदेशक, केन्दीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सीनियर स्टॉफ ऑफिसर, प्रथम/द्वितीय, गृह रक्षा, निदेशालय।
7. समस्त गण समादेष्टा एवं जिला कमाण्डेन्ट गृह रक्षा, राजस्थान।
8. जूनियर स्टॉफ ऑफिसर, गृह रक्षा, निदेशालय।
9. समस्त शाखा प्रभारी, गृह रक्षा, निदेशालय।
10. गार्ड फाईल।

नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा)
राजस्थान,जयपुर।